समाहरणालय, समस्तीपुर
जिला योजना कार्यालय
(अल्पकालीन निविदा)

समस्तीपुर जिला अंतर्गत नवनिर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, जितवारपुर, समस्तीपुर के भवन की साफ-सफाई बाहय स्रोत से कराने हेतु प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मो/गैर सरकारी संस्थाओ/फर्मो से दो लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत मुहरबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है |

निविदा के संबंध में विस्तृत विवरणी www.samastipur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है | निविदा जिला योजना पदाधिकारी, समहरणालय परिसर, समस्तीपुर-848101 के पते पर दिनांक 18.11.2016 के 3 बजे अपराहन तक प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओ को उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में अपराहन 4 बजे जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा | निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है |

कार्य का विवरण :-

1. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में पूर्वाहन 9:00 बजे तक आंतरिक परिसर की समुचित साफ सफाई कराना |
2. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में अवस्थित शौचालयों की साफ सफाई कार्यालय अवधि में लगातार सुनिश्चित कराना |
3. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में बाहरी परिसर में कार्यालय अवधि से पूर्व साफ सफाई सुनिश्चित कराना |
4. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में ग्रीन एरिया में पोधों की कटाई, छंठाई एवं सिंचाई करना |
5. केन्द्र की सफाई प्रतिदिन करने हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी कम से कम 6 सफाई कर्मी एवं उच्च क्वालिटी के सफाई सामग्रियों एवं शौचालय में हैण्डवाश/ओडोनिल आदि की निरन्तर व्यवस्था संस्था द्वारा ही की जायेगी।
6. सफाई कर्मी कार्यालय अवधि के दौरान ड्रेस एवं पहचान पत्र के साथ ही रहेंगे। ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किये जाने में व्यय राशि संस्था को स्वयं वहन करना होगा।
7. केन्द्र के आंतरिक भाग एवं शौचालय की सफाई एक से अधिक बार कराई जा सकती है फलस्वरूप कार्यालय अवधि में कम से कम 6 सुरक्षित कर्मी का होना अनिवार्य रहेगा। इस हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जायेगा।
8. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के शौचालय, पानी टंकी, उपस्कर आदि की साफ–सफाई साप्ताहिक रूप से सुनिश्चित कराना |
9. किसी कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर अन्य सुरक्षित कर्मी की व्यवस्था तुरंत करनी होगी।
10. वित्तीय निविदा में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के उपरोक्त वर्णित कार्यो के लिये आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री एवं मजदूरो की संख्या का पूर्ण विवरण देते हुये न्यूनतम दर अंकित करना होगा साथ ही आंतरिक एवं बाहरी परिसर के संपूर्ण सफाई तथा रख–रखाव की व्यवस्था के लिए संस्था को प्रति SqFt की दर से प्रतिमाह के लिए दर अंकित करना होगा।
11. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के आंतरिक एवं बाहय परिसर के क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार से है:

क्रम	विवरण	क्षेत्रफल (लगभग)
1	कुल आंतरिक परिसर	36810 SqFt
2	कुल बाहय परिसर	34250 SqFt

निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में ही प्राप्त किया जायेगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है:–

(i) अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से 30000 (तीस हजार) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट।

(ii) संस्था/फर्म के निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(iii) आयकर निबंधन एवं वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

(iv) सर्विस टैक्स के निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति |

(V) EPF एवं ESI से निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति |

(vi) सरकारी/निजी संस्थानों में विज्ञपित सेवाऐं संबंधी कार्य करने 1 वर्ष का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिये जाने पर प्राथमिकता दी जाएगी|

(vii) निविदाता संस्था का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षो का कम से कम 20 लाख रूपये का होना चाहिये |

(v) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामले में मुकदमा लम्बित नही होने एवं किसी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नही रखने का शपथ पत्र।

3. तकनीकी निविदा शर्त्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. संस्था को किसी प्रकार के परिवहन व्यय एवं अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. विपत्र में आवश्यक करों की कटौती करने के उपरांत भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. निविदा की शर्त्तो के अनुरूप संस्था के साथ एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में ही अवधि विस्तार किया जायेगा। अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति मे अनुबंध रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य संस्था से कार्य कराने का अधिकार अधोहस्ताक्ष्ज्ञरी को सुरक्षित होगा।
7. कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशी की कटौती की जाएगी एवं एकरारनामा भी रद्द किया जा सकता है |
8. निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे |
9. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

1/11/16

जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर।